फर्द अहकाम

रामगोपाल बनाम सावित्री वगैरह

[न्]यायालय

[संख]्या 5797- 134/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
9/7/24	पत्रावली [illegible] हुई पी०ओ० साहब अन्य [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रा[illegible] [अनु]सार दिनांक 16/7/24 को पेश हों।	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई पी०ओ० साहब अन्य [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रा[illegible] [अनु]सार दिनांक 23/7/24 को पेश हों।	
23/7/24	पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति निस्तारण [illegible] प्रस्तुत की। प्रार्थी / वादी [illegible] की ओर से पेश आपत्ति खारिज की जाकर वाद को उपरोक्त [illegible] [illegible] डिक्री किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाकर [illegible] पृथक से [illegible] किया जाता [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल [illegible] [illegible] दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 1/2022
निर्णय दिनांक : 19.07.2024

उनवान

1. रामगोपाल पारीक पुत्र भौंरी लाल पारीक जाति ब्राह्मण वर्ष निवासी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सत्यनारायण
2. सचेन्द्र पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण
3. संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण
4. सचिन कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण
निवासी ग्राम वाटिका, तहसीलदार सांगानेर हनुमान मन्दिर के पास, जयपुर राजस्थान।
5. अरविन्द पारीक पुत्र श्री किशन सहाय
6. अनिल पुत्र श्री किशन सहाय
7. अन्जली पारीक पुत्री किशन सहाय
8. लता पारीक पुत्री किशन सहाय
9. भंवर लता पारिक पत्नी श्री किशन सहाय
निवासी सतेन्द्र कॉलानी, राकडी सोडाला जयपुर राजस्थान।
10. गंग सहाय पुत्र श्री लादूराम, निवासी कमरख का कुऑ, गेटोर रोड ब्रहम्पुरी जयपुर राजस्थान।
11. भगवान सहाय पुत्र श्री लादूराम निवासी नसिया मार्ग ब्रहम्पुरी जयपुर राजस्थान।
12. राधेश्याम पुत्र श्री लादूराम निवासी नसिया मार्ग ब्रहम्पुरी जयपुर राजस्थान।
13. रामस्वरूप पुत्र श्री लादूराम निवासी मालवीय नगर जयपुर राजस्थान।
14. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा वाटिका तस0 सांगानेर जिला जयपुर।
15. तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक–प्रथम, कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम, 1956

वाद पत्र वाद पत्र बाबत् तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम, 1956 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 24.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 811 खसरा नम्बर 2068/6553 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.33 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाण्डस के आधार पर एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 07.02.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया। जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0/कुर्रेजात/2024/1140 दिनांक 09.07.2024 से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वाद में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। वकील वादी की ओर से पेश कुर्रेजात आपत्ति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर खारिज किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है।

हमने बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादी का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 811 खसरा नम्बर 2068/6553 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2076 रकबा 2.33 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रविष्टिया

किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	
बारानी 1 बारानी 1	अन्जली पारीक पुत्री किशन सहाय हि0 1/200, अनिल पुत्र श्री किशन सहाय हि0 1/200, अरविन्द पुरोहित पुत्र किशन सहाय हि 1/200, गंग सहाय, भगवान सहाय, रामस्वरूप राधेश्याम पुत्र लादूराम हि 1/10, भंवरलता पारीक पत्नी किशन सहाय हि 1/200, लता पारिक पुत्री किशनसहाय हि0 1/200, रामगोपाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/6, सचिन कुमार हि0 1/8, संजय, संजय कुमार हिस्सा 1/8, सच्चेन्द्र हि 1/24, पुत्र सत्यनारायण 3/8 जाति पुरोहित राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ाखा वाटिका सावित्री देवी पत्नी सत्यनारायण हिस्सा 5/12 पुरोहित राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा वाटिका	2068/6353 2076	0.20 2.33	1.50 17.48	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बारानी 1	रामगोपाल पुत्र भौरीलाल हि0 पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	2076 मि.	0.42174	3.20	
2	बारानी 1 बारानी 1	अंजली पारीक अनिल पुरोहित अरविन्द पुरोहित लता पारीक पुत्र/पुत्री किशन सहाय हि0 3/125 भंवर लता पत्नी किशन सहाय हि 3/500 गंग सहाय भगवान सहाय रामस्वरूप, राधेश्यम पु0 लादूराम हि0 3/25 सचिन कुमार हि. संयज कुमार हि 3/20 सच्चेन्द हि 1/20 पु0 सत्यनारायण हि 7/20 राहिन हि0 7/20 राजस्थान ग्राम बैंक शाखा वाटिका हि0 1/2 जाति पुरोहित राहिन राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा वाटिका	2068/6353 2076	0.20 1.9083	1.50 14.28	

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का क़ासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested